

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा)

एच.आई.जी.-64, सेक्टर डी, मानसरोवर कॉलानी,

कानपुर रोड, लखनऊ - 226012

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522-4070404

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र

मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का मानचित्र
परगना..... तहसील जिला लखनऊ प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञा पत्र
संख्या को स्वीकृत किया गया एवं परिवर्धन
(विस्तारीकरण) मानचित्र प्राधिकरण अनुज्ञा पत्र दिनांक
द्वारा स्वीकृत किया गया। उपरोक्त योजना का स्थल निरीक्षण श्री - सहायक
प्रबन्धक (परि०) श्री - लेखपाल श्री
प्रबन्धक (परि०) एवं श्री सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर द्वारा कर
लिया गया है, जो प्राधिकरण पत्र निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन जारी किया जाता है :-

प्रतिबन्ध :-

1. योजना के अन्तर्गत किये गये अवस्थापना सुविधाओं का रख-रखाव तथा संचालन विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। टाउनशिप नगर निगम/रेजीडेन्ट्स वेलफेर एसोसिएशन को हस्तगत करने तक समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। इन अवस्थापना सुविधाओं की कमी या शिकायत प्राप्त होने पर उनका निस्तारण भी पूर्ण कराया जाना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
2. ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार विकासकर्ता द्वारा पूर्ण की जायेगी। भू-विन्यास मानचित्र में प्रस्तावित अन्य भवनों यथा ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, भूखण्डों पर भवन तथा स्कूल आदि के भवनों में निर्माण की स्वीकृति एवं पूर्ण प्रमाण-पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।
3. अनुज्ञा पत्र की शर्त के अनुसार ग्राम समाज की भूमि की विधिक कार्यवाही विकासकर्ता द्वारा पूर्ण करायी जायेगी। अनुज्ञा प्रपत्र की अन्य शर्तों का भी पालन विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. विस्तारित टाउनशिप हेतु एवं पूर्व में अनुमोदित ले-आउट हेतु कोई अन्य देयता अथवा ब्याज भविष्य में पायी जाती/निर्धारित होती है तो बिना किसी विवाद के विकासकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।

5. योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक अवस्थापना सुविधाओं हेतु निर्धारित भूमि स्कूल, कम्युनिटी सेन्टर, पोस्ट आफिस, रेन वाटर हार्वेटिंग, एस.टी.पी., कूड़ा निस्तारण प्रबन्धन की व्यवस्था, सुविधाजनक दुकान आदि जो तलपट मानचित्र में प्रस्तावित है, को पूर्णरूप से विकसित कर निर्धारित उपयोग हेतु आवंटित कर कार्य सम्पादित कराना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी। जिसकी स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र अलग से विकासकर्ता को प्राप्त करना होगा।
6. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अन्य समस्त क्रियाओं/भूखण्डों पर निर्माणों से सम्बन्धित भवन मानचित्र अलग से स्वीकृत कराकर ही निर्माण कराया जाना होगा।

पत्र संख्या / 106 / लीडा / सी.ई.ओ. / मैप / 2013–14 दिनांक

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रबन्धक (परि.), लखनऊ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. सहायक प्रबन्धक (परि.), लखनऊ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ प्रेषित।